न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1224 / 2026
कुर्साकांटा थाना कांड संख्या– 134 / 2020

मो0 कलाम ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थितिः–
वास्ते आवेदकः–श्री एल0पी0 नारायण, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजनः–श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

30-07-2026 आवेदक / अभियुक्त मो0 कलाम, पिता–मो0 निजाम की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो कुर्साकांटा थाना कांड संख्या– 134 / 2020, अंतर्गत धारा– 461, 379, 414 भा0द0वि0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक अब्दुल रासिद के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि कुर्साकांटा भारतीय स्टेट बैंक के पूरब उसका मोबाईल का दुकान है, जो लगभग तीन–चार वर्षों से है। दिन भर दुकानदारी कर शाम में घर चला जाया करता है। दिनांक 11.08.2020 को समय लगभग 07:30 बजे में दुकान बंदकर घर गया, देर रात उसके दुकान में उपर का भेंडीलेशन तोड़कर अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुसकर कुल 29 पीस मोबाईल जो सभी स्क्रीन टच मोबाईल था, जिसका कुल कीमत 3,81,100 रूपया होता है, लेकर चला गया। अगले सुबह दिनांक 12.08.2020 को समय लगभग 9 बजे दुकान खोला तो देखा कि भेंडीलेशन टूटा हुआ है तथा उसका मोबाईल गायब है। अगल–बगल खोजबीन भी किया, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व इसके अलावे कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक को अभियुक्तगण मेराज आलम एवं मो0 एहराज के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक को संदेह एवं सह–अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। सूचक तथाकथित घटना को नहीं देखा है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

लगातार.....

लगातार.....

30.07.2026 उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 461, 379, 414 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1582/2020 के माध्यम से वाद के अन्य सह–अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है। मूल अभिलेख के साथ जप्ती सूची संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के पास से ही चोरी की गयी तीन मोबाईल बरामद किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 42 एवं 68 में क्रमशः उक्त वाद के अन्य सह–अभियुक्तगण मो0 मेराज आलम एवं मो0 एहराज आलम का स्वीकारोक्ति बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आवेदक/अभियुक्त के साथ मिलकर तथाकथित घटना कारित किये हैं। आवेदक के विरूद्ध जघन्य एवं गंभीर आरोप है। मामले में आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान जारी है, अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।